

लक्ष्मीबाई महाविद्यालय LAKSHMIBAI COLLEGE
दिल्ली विश्वविद्यालय (UNIVERSITY OF DELHI)

केंद्रीय सेवा चिकित्सा उपस्थिति और अवकाश यात्रा रियायत के लिए परिवार के सदस्यों की घोषणा।

DECLARATION OF FAMILY MEMBERS FOR PURPOSE OF CENTRAL SERVICE MEDICAL
ATTENDANCE & FOR LEAVE TRAVEL CONCESSION.

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे परिवार के निम्नलिखित सदस्य मेरे साथ रहते हैं और मुझ पर पूर्णतः निर्भर हैं।-

नोट 'आईए पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता जिनके पास आय का स्वतंत्र स्रोत है, उन्हें सरकारी कर्मचारी/विश्वविद्यालय/कॉलेज कर्मचारी के परिवार के सदस्य के रूप में नहीं माना जाता है, सिवाय इसके कि आय (पेंशन में अस्थायी वृद्धि और मृत्यु के बराबर पेंशन सहित) -सह-सेवानिवृत्ति लाभ) रुपये से अधिक नहीं है। 250/- प्रति माह।"

I hereby declare that the following are the members of my family residing with and wholly dependent on me .-

Note 'IA husband/wife/child/parents having an independent source of income is not treated as member belonging to the family of the Government servant/University/college employee except when the income (inclusive of temporary increase in pension and pension equivalent of death-cum-retirement benefit) does not exceed Rs. 250/- per month."

क्रम सं S.NO.	नाम Name	आयु Age	रिश्ता Relationship	व्यवसाय Occupation	मासिक आय (यदि कोई हो तो) monthly Income if any	टिप्पणी Remark
---------------	----------	---------	---------------------	--------------------	--	----------------

3

4,

5.

3.

9.

कि मेरे पति/पत्नी सेवा में हैं/नहीं हैं। यदि सेवा में है तो नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि वह उसके बाद एलटीसी/एचटीसी की सुविधा नहीं लेगा और सीएसएमए के तहत प्रतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा।

इसके बाद उन्हें एलटीसी/एचटीसी की सुविधा मिलेगी और सीएसएमए के तहत प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया जाएगा।

यह कि मेरे पिता/माता सेवानिवृत्त पेंशनभोगी नहीं हैं और उनके द्वारा आहरित पेंशन की राशि संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शाई गई है।
Rd.....

घोषित 'परिवार' सदस्यों की सूची में कोई भी बदलाव रिकॉर्ड के लिए तुरंत कॉलेज/विश्वविद्यालय को सूचित किया जाएगा।

एलटीसी/सीएसएमए के लिए प्रवेश दिया गया

That my husband/wife is/is not in service. If in service a certificate from the employer to the effect that he/she shall not at the facility of LTC/HTC from them hereafter and not claim for reimbursement under CSMA.

That my father/mother is/is not a retired pensioner and the amount of pension drawn by him/them is as shown in the attached .income certificate, viz. Rd.....

That any change in the list of 'family' members declared will be intimated to the college/University immediately for record.

कर्मचारी का हस्ताक्षर

Signature of the employee

दिनांक Dated :

एलटीसी/सीएसएमए के लिए प्रवेश दिया गया
Admitted for LTC/CSMA